रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 419] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 16, 2016/माघ 27, 1937
No. 419] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 16, 2016/MAGHA 27, 1937

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2016

का.आ. 497(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ इक्कीसवां संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,

(1) प्रथम अनुसूची में, "22कक. प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय" शीर्षक का लोप किया जाएगा।

(2) द्वितीय अनुसूची में,—

(क) "वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "ख. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग" उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 21 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"21. औद्योगिक और सेवा परियोजनाओं में प्रत्यक्ष विदेशी और अनिवासी निवेश।

21क. समग्र सरकारी नीतियों के अनुसार नवाचारी विनिधानों और नीतिगत पहलों को शामिल करते हुए भारत में विशेषतया प्रवासी भारतीयों के लिए अनन्य विशेष आर्थिक जोनों जैसे क्षेत्रों में, प्रवासी भारतीयों द्वारा विनिधान का संवर्धन।";

(ख) "विदेश मंत्रालय" शीर्षक के अधीन,

(i) प्रविष्टि 12 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"12. विभिन्न स्कीमों के अधीन विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति, जिसके अंतर्गत भारत में अध्ययन के लिए अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के छात्रों को छात्रवृत्ति भी सम्मिलित है।";

(ii) प्रविष्टि 22 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"22. देश बाह्य प्रचार जिसके अंतर्गत प्रवासी भारतीय मामलों से संबन्धित देश बाह्य प्रचार भी सम्मिलित है।";

(iii) प्रविष्टि 41 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"42. प्रवासी भारतीयों से संबंधित सभी मामले जिनमें भारतीय मूल के व्यक्ति और अनिवासी भारतीय समाविष्ट हैं, उन प्रविष्टियों को छोड़कर जो विनिर्दिष्टतः अन्य विभागों को आबंटित की गई हैं।

43. उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) के अधीन भारत से प्रवासी देशों को होने वाला संपूर्ण उत्प्रवास और उत्प्रवासियों की वापसी।

44. प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों और प्रवासी भारतीय केन्द्र से संबंधित मामले।

45. भारत में प्रवासी भारतीय स्वयंसेवकों के लिए कार्यक्रमों से संबंधित मामले।

46. ऐसे देशों, जहां प्रवासी भारतीयों की गहन आबादी है, में प्रवासी भारतीय कार्य केन्द्रों की स्थापना और उनका प्रशासन।

47. भारतीय मूल के व्यक्तियों व अनिवासी भारतीयों को रोजगार सहायता संबंधी नीति, जिसमें सरकारी सेवा में आरक्षण सम्मिलित नहीं है।

48. मानव संसाधन विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय से परामर्श करके, भारत में ऐसी विभिन्न शैक्षिक, तकनीकी और सांस्कृतिक संस्थाओं, जहां अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के छात्रों के लिए विवेकाधीन कोटा विद्यमान है, में अनिवासी भारतीय और भारतीय मूल के छात्रों के प्रवेश से संबंधित सूचना एकत्र करना और उसका प्रचार-प्रसार करना।

49. प्रवासी भारतीय समुदाय और भारत के मध्य सुदृढ़ संबंधों को सुनिश्चित करने के लिए विपणन और संचार कार्यनीतियों का विकास।

50. आर्थिक कार्य विभाग से परामर्श करके सरकारी और मूल संगठनों को अनिवासी भारतीयों व भारतीय मूल के व्यक्तियों के योगदान संबंधी मामले।

51. प्रवासी भारतीयों से संबंधित मामलों पर राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश तथा उनसे सहयोग और समन्वय।

52. श्रम और रोजगार मंत्रालय की सहमति से विदेशों में कुशल जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संस्थाओं की स्थापना।

53. व्यापार, संस्कृति, पर्यटन, मीडिया, युवा मामले, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करके भारत के साथ प्रवासी भारतीयों की अंतःक्रिया के लिए नई पहलें।

54. नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 7ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ।

55. राशीकरण करारों संबंधी कार्य, प्रवासी भारतीयों का संरक्षण और कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा के संदाय से छूट।

टिप्पणः सभी संबंधित मंत्रालयों द्वारा किए जाने वाले प्रवासी भारतीयों संबंधी सभी कार्यों, जैसे पीआईओ कार्ड स्कीम, दोहरी नागरिकता संबंधी मुद्दे, प्रवासी भारतीयों के गैर सरकारी संगठनों के विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम संबंधी मामलों, में

विदेश मंत्रालय से परामर्श करना होगा । इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक प्रवासी भारतीयों के निक्षेपों को नियंत्रित करने वाली नीतियां और स्कीमें तैयार करने के दौरान विदेश मंत्रालय से परामर्श करेगा । **";**

(ग) "वित्त मंत्रालय" शीर्षक के अधीन "क. आर्थिक कार्य विभाग" उप-शीर्षक के अंतर्गत, प्रविष्टि 4 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:-

"4. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के सुपुर्द किए गए कृत्यों को छोड़कर विदेशी और अनिवासी भारतीय निवेश ";

(घ) "प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय " शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

प्रणब मुखर्जी
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/21/1/2016-मंत्रि.]
दीप्ति उमाशंकर, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2016

S.O. 497(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Twenty First Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(1) in THE FIRST SCHEDULE, the heading "22AA. Ministry of Overseas Indian Affairs (Pravasi Bhartiya Karya Mantralaya)" shall be omitted.

(2) in the SECOND SCHEDULE,-

(a) under the heading "MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (VANIJYA AUR UDYOG MANTRALAYA)**",** sub-heading "B. DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION (AUDYOGIK NITI AUR SAMVARDHAN VIBHAG)" for entry 21, the following entry shall be substituted, namely:-

"21. Direct foreign and non-resident investment in industrial and service projects.

21A. Promotion of investment by Overseas Indians in India including innovative investments and policy initiatives consistent with the overall Government policies particularly in areas such as exclusive Special Economic Zones for Overseas Indians.";

(b) under the heading "MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (VIDESH MANTRALAYA)",

(i) for entry 12, the following entry shall be substituted, namely:-

"12. Scholarship to foreign students including scholarship to Non-Resident Indians and Persons of Indian Origin students for study in India under different schemes.";

(ii) for entry 22, the following entry shall be substituted, namely:-

"22. External publicity including such publicity concerning overseas Indians' affairs.";

(iii) after entry 41, the following entries shall be inserted, namely:-

"42. All matters relating to Overseas Indians comprising Persons of Indian Origin and Non-Resident Indians excluding entries specifically allotted to other Departments.

43. All emigration under the Emigration Act, 1983 (31 of 1983) from India to overseas countries and the return of emigrants.

44. Matters relating to Pravasi Bharatiya Divas, Pravasi Bharatiya Samman Awards and Pravasi Bharatiya Kendra.

45. Matters relating to programmes in India for overseas Indian Volunteers.

46. Setting up and administration of Centres for Overseas Indians' Affairs in countries having major concentration of Overseas Indians.

47. Policy regarding employment assistance to the Persons of Indian Origin and Non-Resident Indians excluding reservations in Government service.

48. Collection and dissemination of information concerning admission of the Persons of Indian Origin and Non-Resident Indian students to various educational, technical and cultural institutions in India wherever discretionary quota for the Persons of Indian Origin and Non-Resident Indian students exists, in consultation with the Ministry of Human Resource Development and the Ministry of Culture.

49. Development of marketing and communication strategies to ensure strong links between the Overseas Indian community and India.

50. Matters relating to the Persons of Indian Origin and Non-Resident Indians' contributions to the Government and parental organisations in consultation with the Department of Economic Affairs.

51. Guidance to and Cooperation with the State Governments and coordination with them on matters related to Overseas Indians.

52. Establishment of institutions to impart vocational and technical training to meet the requirements of skilled manpower abroad with the concurrence of the Ministry of Labour and Employment.

53. New initiatives for interaction by Overseas Indians with India in the fields such as Trade, Culture, Tourism, Media, Youth Affairs, Health, Education, Science and Technology in consultation with concerned Ministries.

54. Exercise of powers conferred by the sub-section (1) of section 7B of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955).

55. Work relating to totalization agreements, protection and welfare of overseas Indians and exemption from payment of social security.

Note: The Ministry of External Affairs will be consulted by the concerned Ministries in all matters concerning Overseas Indians handled by them such as PIO Card Scheme, dual citizenship issues, Foreign Contribution (Regulation) Act matters of Non-Governmental Organisations of Overseas Indians. Similarly the Reserve Bank of India will consult the

Ministry of External Affairs while framing policies and schemes governing deposits by overseas Indians.";

(c) under the heading "MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)", sub-heading "A. DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS (ARTHIK KARYA VIBHAG)" for entry 4, the following entry shall be substituted, namely:-

"4. Foreign and Non-Resident Indian Investment excluding functions entrusted to Department of Industrial Policy and Promotion";

(d) the heading "MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS (PRAVASI BHARTIYA KARYA MANTRALAYA)" and entries relating thereto shall be omitted.

PRANAB MUKHERJEE

President

[F. No. 1/21/1/2016-Cab.]

DEEPTI UMASHANKAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.